

राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर 302006
क्रमांक: एफ.1(ए)80 पार्ट-6 लूज/संस्था/बीमा/2022/

दिनांक : 08-08-2022

6444-94

समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/
अतिरिक्त निदेशक/परियोजना निदेशक/
संयुक्त/उप/सहायक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यमन्त्री
संभागीय/सा.बी.यो./आरजीएचएस/जिला कार्यालय
राजस्थान।

विषय : डीपीसी वर्ष 2022-23 में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु संतान घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग में चयन वर्ष 2022-23 में गैर अनुसूचित क्षेत्र में मंत्रालयिक संवर्ग की नियमित डीपीसी किये जाने हेतु आपके अधीन कार्यरत कार्मिकों से संतान घोषणा पत्र चाहे गये थे, किन्तु अधिकांश कार्मिकों द्वारा अभी तक संतान घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं।

अतः कृपया आपके अधीन कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों से वर्ष 2022-23 की पदोन्नति हेतु संतान संबंधी घोषणा पत्र संलग्न प्रारूप में भरवाकर 3 दिवस में मुख्यालय को भिजवाने का एवं संस्थापन अनुभाग (मुख्यालय) की ई-मेल आई-डी jd.est.sipf@rajasthan.gov.in पर प्राथमिकता से मेल करवाने का श्रम करावें।

पदनाम	कार्मिकों का विवरण (दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची में अंकित कार्मिक)
प्रशासनिक अधिकारी	क्रम संख्या 1 से 2
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	क्रम संख्या 1 से 16
पर्यवेक्षक	क्रम संख्या 1 से 93
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	क्रम संख्या 1 से 103
वरिष्ठ सहायक	क्रम संख्या 1 से 194
कनिष्ठ सहायक	क्रम संख्या 1 से 122

जो कार्मिक सेवा निवृत्त हो गये हैं, उनसे व्यक्तिगत/दूरभाष पर संपर्क करवाकर संतान घोषणा पत्र प्राप्त किए जाने का भी श्रम करावें। दिनांक 01.04.2021 की वरिष्ठता सूची की प्रति विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार

भवदीया,

(सौम्या शर्मा)

संयुक्त निदेशक (संस्थापन),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95(33/01) दिनांक 20.06.2001 के क्रम में अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये जाने वाला सन्तान सम्बन्धी घोषणा पत्र

मैं,.....पद.....राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या थी।

क्र.सं.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म तिथि

2. दिनांक 01 जून 2002 को एवं इसके पश्चात् बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।
अथवा

3. दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या.....है।

क्र.सं.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म तिथि

हस्ताक्षर अधिकारी/कर्मचारी

नाम.....

पद.....

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

.....

सक्षम अधिकारी

नाम मय कार्यालय की मोहर